

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक- 1950/484/आउशि/शाखा-2/10
प्रति,

भोपाल, दिनांक-27/07/2010

- 1- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
(मध्य प्रदेश)
- 2- प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
(मध्य प्रदेश)

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2010-11 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि विद्वानों से अध्यापन व्यवस्था के निर्देशों में संशोधन।

संदर्भ:- 1- कार्यालय पत्र क्रमांक 1579/484/आउशि/शा-2/10 दिनांक 25.06.10।

2- कार्यालय पत्र क्रमांक 1766/484/आउशि/शा-2/10 दिनांक 06.07.10।


—00—

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य सुचारु रूप से संचालित करने हेतु शैक्षणिक सत्र 2010-11 के लिए अतिथि विद्वानों हेतु जारी किये गये सन्दर्भित दिशा-निर्देशों में एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

--: अतिथि विद्वानों की चयन प्रक्रिया हेतु संशोधित-कलेण्डर :-

स.क्र.	विवरण	संशोधित तिथियां
1	विज्ञापन का प्रकाशन	09 अगस्त, 2010 (अतिरिक्त संचालक स्तर से)
2	आवेदन की अंतिम तिथि	19 अगस्त, 2010 (संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को)
3	आवेदनों की चयन-प्रक्रिया पूर्ण करना	23 अगस्त, 2010
4	अंतिम चयन-सूची का प्रकाशन	25 अगस्त, 2010
5	अध्यापन हेतु आमंत्रण पत्र जारी करना	27 अगस्त, 2010

" शासन द्वारा अनुमोदित "


(राजीव रंजन)
आयुक्त


उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक-27/07/2010

पू० क्रमांक 1950/484/आउशि/शाखा-2/10

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय मंत्री उच्च शिक्षा के निज सहायक मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
- 2- महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
- 3- प्रमुख मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग।
- 4- समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
- 5- समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
- 6- समस्त अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 7- उपसचिव, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विठ्ठन मार्केट, भोपाल।
- 8- समस्त अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश।
- 9- समस्त कोषालय एवं उपकोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(राजीव रंजन)
आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश